न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 233/2022 प्रार्थना पत्र — दर्ज तिथि : 01.12.2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता खेमराज पटवा आयु 60 वर्ष निवासी मोठा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

.................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

...............विपक्षी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री इन्दरमल भांभी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 18.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा टाई पटवार हल्का टाई तहसील, निम्बाहेड़ा की खाता संख्या नया 218 की आराजी नम्बर 212 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल लगानी 8.93 पैसा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश की गई। यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद पिता खेमराज पटवा है तथा यही नाम उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है। परन्तु प्रार्थी को घर पर स्नेहवश प्यार दुलार से राजमल नाम से भी पुकारा जाता था। उपरोक्त वर्णित आराजी का विरासत से प्रार्थी के नाम नामांतरण खुला उस समय प्रार्थी का नाम भूलवश राजमल पिता खेमराज दर्ज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद पटवा है और यही नाम अपनी खातेदीर कब्जे काश्त की आराजी जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है के [illegible] करवा दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में नाम राजमल [illegible] के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाओ व मुआवजा आदि [illegible] प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना [illegible] में वर्णित आराजी में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पिता खेमराज पटवा दर्ज करवाने का निवेदन किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में राजमल के बजाय राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि ग्राम टाई पटवार हल्का टाई के आराजी नम्बर 212 रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि राजमल पिता खेमराज भाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी का नाम ग्राम टाई के नामान्तरण संख्या 196 विरासत से खातेदार खेमराज पिता घासी के फौत होने से राजमल पिता खेमराज भाट दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरण का अमल ग्राम टाई की जमाबंदी संवत 2041–2044 की खाता संख्या 27 पर किया गया। यह कि वक्त नामांतरण से आज तक प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में राजमल दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत टाई के लेटरपेड अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्रप्रसाद होना जाहिर आया। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौतबिरान द्वारा बताये अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम टाई के आराजी नम्बर 212 रकबा 0.47 हैक्टेयर में राजमल के बजाय राजेन्द्रप्रसाद दर्ज किया जाना उचित है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। ग्राम टाई की साबिक आराजी नम्बर 460/135 रकबा 2 बीघा भूमि एवं आराजी नम्बर 494/135 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भू[illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त दोनों आराजियात खातेदार श्री खेमरा[illegible]सी के फौत हो जाने से क्रमशः साबिक नामान्तरण संख्या 1[illegible] 231 से बाबुलाल राजमल पिता खेमराज भाट के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। उ[illegible]कता 2 रकबा 3–14 बीघा भूमि के आपसी सहमति बंटवारे से आराजी नम्बर 460/135 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 598/494/135 रकबा 1–14 बीघा कुल कि[illegible]2 कुल रकबा 1–17 बीघा साबिक नामान्तरण संख्या 636 दिनांक 28.12.2010 से प्रार्थी (राजमल पिता खेमराज) के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त दोनों आराजियात के नवीन नम्बर 212मीन रकबा 0.47 हैक्टेयर बने होकर वर्तमान में ग्राम टाई की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 218 में राजमल पिता खेमराज के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.04.2023 में अंकित किया गया हैं कि " मैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद पटवा एवं राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबंन्दी में मेरा नाम राजमल दर्ज है, जो कि दोनों ही नाम मेरे है तथा मुझे राजेन्द्र प्रसाद एवं राजमल दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता हैं एवं दोनों नाम का मैं एक ही व्यक्ति हूं। साथ ही शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया है कि " मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उक्त विषय को लेकर भविष्य में कोई विवाद होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी"। ग्राम पंचायत, अरनिया जोशी ने दिनांक 05.04.2023 को एक प्रमाण पत्र जारी किया जिस पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, अरनिया जोशी के हस्ताक्षर है उसमें अंकित किया गया है कि " प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री राजेन्द्रप्रसाद पटवा पिता खेमराज पटवा जाति पटवा निवासी ग्राम मौठा, ग्राम पंचायत अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा के मूल निवासी होकर इनके दो नाम है। जो निम्न है : राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजमल एक ही व्यक्ति होकर मेरी जानकारी में सही है।

6. साथ ही तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक : राजस्व/2023/1077 दिनांक 20.07.2023 द्वारा प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम टाई पटवार मण्डल, टाई के आराजी नम्बर 212 रकबा 0.47 हैक्टेयर राजमल पिता खेमराज भाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम ग्राम टाई के नामान्तरण संख्या 196 विरासत से खातेदार खेमराज पिता घासी के फोत होने से राजमल पिता खेमराज भाट का नाम दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरण का अमल ग्राम टाई की जमाबंदी खाता संख्या 27 संवत 2041–2044 में किया गया। वक्त नामान्तरण विरासत से आज तक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजमल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र. आधार कार्ड, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत टाई के लेटरपेड अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्रप्रसाद होना जाहिर आया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौतबिरान द्वारा बताये अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम टाई के आराजी नम्बर 212 रकबा 0.47 हैक्टेयर में राजमल के बजाय राजेन्द्रप्रसाद दर्ज किया जाना उचित है।
साथ ही पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में से प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 505629886590, राशनकार्ड संख्या 200002751019, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र क्रमांक : आर.जे./19/125/021649, राजस्थान सरकार के जन–आधार कार्ड संख्या 4765275462 में भी प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद अंकित है। अतः पर्याप्त सबूतों एवं ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट के क्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम टाई, पटवार मण्डल, टाई की आ.नं. 212 मीन रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम राजमल पिता खेमराज के बजाय राजेन्द्र प्रसाद पिता खेमराज दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

18/8/23

(रमेश सिरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा